न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–6, अयोध्या।

पीठासीनः दीपिका तिवारी, ...उच्चतर न्यायिक सेवा, जे०ओ० कोड–यू.पी. 2719

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–109/2023
CNR No. UPFZ010035142023
Computer Registration No. 123/2023

प्रेम प्रकाश पाल आयु लगभग 47 वर्ष पुत्र स्व. राम केवल निवासी ग्राम माधवपुर, थाना पूराकलंदर, जिला फैजाबाद। -------निगरानीकर्ता

बनाम

1. राज्य सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा कलेक्टर महोदय अयोध्या

2. विनय कुमार पाल आयु लगभग 44 वर्ष पुत्र स्व. राम केवल

3. श्रीमती श्यामा देवी आयु लगभग 40 वर्ष पत्नी विनय कुमार

निवासीगण ग्राम माधवपुर, थाना पूराकलंदर, जिला फैजाबाद वर्तमान अयोध्या। -------विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण, निगरानीकर्ता प्रेम प्रकाश पाल द्वारा विद्वान अवर न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट, सोहावल द्वारा कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या–टी 201904230203571 प्रेम प्रकाश पाल बनाम विनय कुमार पाल अंतर्गत धारा–145 दं.प्र.सं., ग्राम माधवपुर, थाना पूराकलंदर, जिला अयोध्या के प्रकरण में पारित आदेश दिनाँकित 20.03.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रथम पक्ष/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2023 निरस्त किया गया तथा जारी नोटिस अंतर्गत धारा 145(1) दं.प्र.सं. वापस लेकर प्रस्तुत वाद की अग्रिम कार्यवाही समाप्त की गयी।

2. रिवीजन कर्ता द्वारा रिवीजन निम्न आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि–

(i) यह कि प्रश्नगत निगरानी श्रीमान उप जिला मजिस्ट्रेट सोहावल जनपद अयोध्या के आदेश दिनांक 20/03/2023 के विरूद्ध दाखिल की जा रही है जो अवर न्यायालय के समक्ष धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसे अवर न्यायालय ने सरसरी तौर पर बिना कागजात का अवलोकन किये ही निरस्त कर दिया।

(ii) यह कि निगरानीकर्ता ने धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गाटा संख्या 309, 212, 313 स्थित ग्राम माधवपुर परगना हवेली अवध तहसील सोहावल जिला अयोध्या को कुर्क करने हेतु प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 13/10/2019 को प्रस्तुत किया।

(iii) यह कि निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र पर अवर न्यायालय द्वारा स्थानीय थाने से विवादित गाटों के बावत एक आख्या आहूत की गई जो दिनांक 13/10/2019 को अवर न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर शामिल की गई

Digitally signed by Deepika Tiwari
Date: 2026.07.10 16:40:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एवं तहसीलदार महोदय सोहावल की विस्तृत आख्या भी दिनांक 11/11/2019 पत्रावली पर उपलब्ध है जो स्पष्ट है।

(iv) यह कि स्थानीय थाना पूराकलन्दर से प्राप्त आख्या में दर्शित नजरी नक्शा गलत था जिसमें गाटा संख्या 312 के स्थान पर 309 दर्शित किया गया है तथा शेष गाटों के बावत आख्या मय नक्शा नजरी सही है।

(v) यह कि अवर न्यायालय के यहाँ बहस की तैयारी के दौरान आख्या में त्रुटि होने की जानकारी होने पर गाटा संख्या 309 के स्थान पर 312 लिखने हेतु संशोधन आख्या मंगाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 16/03/2023 को दिया गया जिसे नजरंदाज करते हुए अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा दाखिल संर्शाधन आख्या मंगाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र व मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 20/03/2023 को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया।

(vi) यह कि अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तृत रूप से बिना अवलोकन किये एवं निगरानीकर्ता की बातों पर बिना सम्यक रूप से अध्ययन किये ही प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया जो हर दशा में न्याय व नियम के प्रतिकूल है।

(vii) यह कि अवर न्यायालय ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर दृष्टिगत करते हुए बिना निगरानीकर्ता को पूर्ण रूप से सुने व सम्यक अवलोकन किये प्रार्थना पत्र निरस्त करके महान भूल किया है जो किसी भी दशा में बने रहने योग्य नही है।

(viii) यह कि अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं थानाध्यक्ष पूराकलन्दर की आख्या का पूर्ण रूप से बिना अवलोकन किये ही प्रश्नगत आदेश पारित करके महान भूल किया है जो किसी भी दशा में ग्राहय नही है।

(ix) यह कि अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश त्रुटिपूर्ण, अवैधानिक और अनियमित होने के कारण हर दशा में निरस्त होने योग्य है चूंकि अवर न्यायालय ने विधि पूर्ण संज्ञान न लेकर प्रश्नगत आदेश सरसरी तौर पर पारित करके महान भूल किया है।

अतः निगरानी स्वीकार करके अवर न्यायालय की पत्रावली तलब कर अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 20.03.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

3. रिविजन के समर्थन में रिविजनकर्ता द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 20.03.2023 की सत्यप्रति कागज संख्या 4ब, एक किता छायाप्रति आख्या थानाध्यक्ष पूराकलन्दर, एक किता छायाप्रति आख्या तहसीलदार सोहावल व एक किता छायाप्रति आधार कार्ड दाखिल की गयी है।

4. विपक्षीगण संख्या 2 व 3 विनय कुमार व श्यामा देवी की ओर से उपरोक्त निगरानी के विरुद्ध लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि–

(i) यह कि प्रश्नगत गाटा, जिसके सम्बन्ध में धारा 145 जा.फौ. की कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान अवर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसी आराजी के सम्बन्ध में दीवानी वाद मूलवाद संख्या–32/11 प्रेम प्रकाश बनाम राम केवल आदि चल रहा है, जिसमें निगरानीकर्ता को कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके विरुद्ध निगरानीकर्ता द्वारा प्रकीर्ण अपील संख्या–104/13 दाखिल की गयी, जो दिनांक 31–03–2014 को खारिज हो गयी।

(ii) यह कि इस प्रकार निगरानीकर्ता बदनीयती से जब दीवानी वाद में सफलता नहीं हासिल कर सका, तब धारा–145 जा.फौ. की कार्यवाही कराने हेतु प्रयास करने लगा। निगरानीकर्ता का कोई स्वत्व व कब्जा प्रश्नगत आराजी पर नहीं है। प्रश्नगत आदेश विधानतः सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है इसलिये किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। दीवानी वाद के चलते धारा–145 जा.फौ. की कार्यवाही नियमतः चलायमान नहीं है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि निगरानी निरस्त करने की कृपा की जावे।

5. विपक्षी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) की ओर से तर्क दिया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवं साक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः रिवीजन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई।

6. मैंने, रिविजनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्य का तथा आलोच्य आदेश दिनांकित 20.03.2023 का सम्यक अवलोकन किया।

7. दाण्डिक निगरानी के मामले में निगरानी न्यायालय को यह देखना होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई तात्विक अनियमितता, अवैधानिकता अथवा क्षेत्राधिकार से परे आदेश पारित तो नहीं किया गया है, क्योंकि निगरानी न्यायालय मामले की तथ्य परक जाँच नहीं कर सकती, न ही अपने निष्कर्ष को तथ्यों पर अवलम्बित कर सकती है जब तक कि यह साबित नहीं हो कि प्रश्नगत आदेश (परवर्स) है।

8. इस न्यायालय के समक्ष विचाराणीय प्रश्न है कि "क्या विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित–20.03.2023 विधिक सिद्धांतो एवं क्षेत्राधिकार के अन्तगर्त पारित किया है?

9. विधि के प्रावधानों पर यदि विचार किया जाये तो **धारा 397 दं०प्र०सं०** के अनुसार पुनरीक्षण न्यायालय को, अवर न्यायालय द्वारा पारित किसी दण्डादेश या आदेश की **शुद्धता, वैधता या औचित्य** के बारे में तथा किन्हीं कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में विचार करना होता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 397 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत निगरानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित होता है। नियमितता तथा विचारण न्यायालय की प्रक्रिया पर विचार करना होता है। यही सिद्धान्त **माननीय उच्चतम न्यायालय ने अमित कपूर बनाम रमेशचन्द, (2012) 9 S.C.C. 460** के प्रकरण में प्रतिपादित किया है जिसमें उल्लिखित किया गया है कि धारा 397 एवं धारा 401 दं०प्र०सं० के प्राविधानों के अन्तर्गत निगरानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है। निगरानी न्यायालय को निगरानी के स्तर पर साक्ष्य का विश्लेषण/मूल्यांकन अथवा पुनर्मूल्यांकन की शक्तियां प्राप्त नहीं है, अपितु निगरानी न्यायालय को केवल विचारण न्यायालय के आदेश की वैधानिकता, औचित्यता तथा नियमितता के संबंध में सतुष्टि करनी होती है। मैंने रिविजनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

10. पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि वाद संख्या 03571/2019, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या–T201904230203571, प्रेम प्रकाश पाल बनाम विनय प्रकाश पाल अंतर्गत धारा–145 दं०प्र०सं० में पारित आदेश दिनांक–20.03.2023, के द्वारा विद्वान उपजिलामजिस्ट्रेट, सोहावल द्वारा प्रार्थनापत्र धारा–145(1) द०प्र०सं० के अन्तर्गत वाद की कार्यवाही को समाप्त किया गया है, जिससे क्षुब्द होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

11. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने आलौच्य आदेश में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) को इस आधार पर निरस्त किया है कि "....विपक्षी द्वारा दीवानी न्यायालय पर विचाराधीन मूलवाद संख्या–32/11 प्रेम प्रकाश बनाम राम केवल में सिविल जज (जू०डि०) हवेली महोदय, फैजाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2013

की छायाप्रति व उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील एम०सी०ए० नं०–104/2013 प्रेम प्रकाश बनाम विजय कुमार आदि के अपर जिला न्यायाधीश महोदय कोर्ट नं०–8, फैजाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31.03.2014 की छायाप्रति दाखिल करते हुए प्रस्तुत वाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने की याचना किया गया। प्रथम पक्ष प्रेम प्रकाश को अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी कोई साक्ष्य दाखिल नही किया गया तथा दिनांक 16.03.2023 को प्रार्थना पत्र देकर थाना पूराकलन्दर द्वारा प्रेषित चालानी रिपोर्ट दिनांक 13.10.2019 में संशोधन करने की याचना की गयी जिस पर द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गयी। मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। परीक्षण से स्पष्ट है कि पूर्व से ही विवादित भूमि के संबंध में दीवानी न्यायालय पर पक्षों के मध्य वाद विचाराधीन चल रहा है जिसमें प्रथम पक्ष को स्थगन आदेश भी नही प्राप्त हुआ। प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2023 में किये गये संशोधन का अधिकार न्यायालय को नही है जिस कारण प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2023 निरस्त करते हुए प्रस्तुत वाद में जारी नोटिस अंतर्गत धारा–145(1) द०प्र०सं० वापस लेकर वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाना न्यायोचित है।"

12. पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी एवं रिवीजनकर्ता के मध्य कब्जेदारी को लेकर विवाद के संबंध में विद्वान उपजिलाधिकारी के समक्ष धारा–145(1) द०प्र०सं० की कार्यवाही का प्रार्थना पत्र दिया गया था परन्तु धारा–145(1) द०प्र०सं० के अन्तर्गत होने वाली कार्यवाही निवारक (Preventive) और संक्षिप्त (summary) प्रकृति की होती है जिसका मुख्य उद्देश्य केवल जमीन या पानी के विवाद के कारण होने वाली हिंसा को रोकना और पारिवारिक शांति बनाये रखना है। यह कार्यवाही सम्पत्ति के मालिकाना हक या कानूनी अधिकार का फैसला नही करती है बल्कि केवल यह तय करती है कि प्रारम्भिक आदेश की तिथि पर वास्तविक कब्जा किसका था। यहां यह विशेष रुप से सन्दर्भित है कि अगर किसी सम्पत्ति के मालिकाना हक या कब्जे का मामला यदि किसी सक्षम दीवानी अदालत में भी चल रहा है तो धारा–145(1) द०प्र०सं० के अन्तर्गत कार्यवाही जारी रखने का कोई आधार नही बनता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **राम सुमिर पुरी महन्त बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य क्रिमिनल अपील नं०–1984 (arising out of S.L.P. Criminal No. 1369/1982, decided on December 07, 1984), AIR 1985 SC 472,** में यह निर्धारित किया गया है कि–

> **"when a civil litigation is pending for the property wherein the question of possession is involved and has been adjudicated, we see hardly any justification for initiating a criminal proceeding u/s 145 of the Code."**

13. उक्त के संबंध में विधि व्यवस्था **महन्त सिया राघव शरन बनाम धरमदास व अन्य, क्रि०मि० केस 1200/1982, decided on 04.12.1985,** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच द्वारा भी माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए अचल सम्पत्ति का कब्जे से संबंधित विवाद जो सिविल न्यायालय में विचाराधीन हो वहां धारा–145 द०प्र०सं० के अन्तर्गत वाद की कार्यवाही को समाप्त किये जाने योग्य पाते हुए धारा–145 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत लम्बित प्रकरण को निरस्त किया।

14. यहां यह सन्दर्भित है कि हस्तगत प्रकरण में विद्वान उपजिलाधिकारी द्वारा सिविल न्यायालय में अचल सम्पत्ति से संबंधित वाद–32/11 विचाराधीन पाते हुए धारा–145 दं०प्र०सं० की कार्यवाही समाप्त की गयी थी विपक्षी द्वारा भी अपनी आपत्ति में यह कथन किया गया है कि प्रश्नगत गाटा जिसके संबंध में धारा–145 दं०प्र०सं० की कार्यवाही विद्वान उपजिलाधिकारी द्वारा निरस्त की गयी है, उसी आराजी के संबंध में दीवानी मूलवाद संख्या–32/11 प्रेम प्रकाश बनाम राम केवल आदि चल रहा है जिसमें निगरानीकर्ता को कोई स्थगन आदेश प्राप्त नही हुआ है जिसके विरुद्ध निगरानीकर्ता द्वारा प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या–104/2013 दाखिल की गयी जो दिनांक 31.03.2014 को खारिज हो गयी। यहां यह विशेष रुप से अवलोकनीय है कि निगरानीकर्ता द्वारा कहीं भी अपनी

निगरानी में इस तथ्य से इंकार नही किया गया है कि प्रश्नगत गाटा संख्या जिसके संबंध में धारा–145 द०प्र०सं० की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र उसके द्वारा दिया गया था उस गाटा संख्या से संबंधित प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन नही है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने Prabhakar pandey Vs U.P. state & Ors, Crl Rev. No. 2341 of 2001 decided on 30.05.2022, में यह अवधारित किया गया है कि:–

> "पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने पर विद्वान सत्र न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संज्ञान और समन आदेश को रद्द नहीं कर सकता, अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने में, सत्र न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है और सत्र न्यायायलय केवल मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में अवैधता, अनियमितता और अनुचितता की जांच कर सकता है। यदि सत्र न्यायालय को कोई अवैधता, अनियमितता या क्षेत्राधिकार त्रुटि मिलती है तो सत्र न्यायालय कार्यवाही को रद्द नहीं कर सकता है, बल्कि पुनरीक्षण न्यायालय को मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के संबंध में त्रुटि को इंगित करके निर्देश जारी करने की शक्ति है। इसलिए, सत्र न्यायालय का आदेश पूरी तरह से गलत है और कानून के निर्धारित सिद्धांतों के खिलाफ है।"

15. अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह युक्तियुक्त व विधित निर्णयों से समर्थित है और विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत है। उक्त आधार पर दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता प्रेम प्रकाश पाल द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–109/2023 निरस्त की जाती है।

विद्वान अवर उपजिला मजिस्ट्रेट, सोहावल द्वारा कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या–टी 201904230203571 प्रेम प्रकाश पाल बनाम विनय कुमार पाल अंतर्गत धारा–145 दं.प्र.सं., ग्राम माधवपुर, थाना पूराकलंदर, जिला अयोध्या के प्रकरण में पारित आदेश दिनाँकित 20.03.2023 को पुष्ट किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को प्रषित हो। तद्नुसार दाण्डिक निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 10.07.2026

(दीपिका तिवारी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–6, अयोध्या।
जे०ओ० कोड–यू.पी. 2719

यह निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में दिनांकित व स्वहस्ताक्षरित कर, सुनाया गया।

दिनांकः 10.07.2026

(दीपिका तिवारी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–6, अयोध्या।
जे०ओ० कोड–यू.पी. 2719